फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

चरणी देवी बाजीगर वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा : 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील संख्या. 96/2022
GCMS No. 2022/118

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.11.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 24–01–2022 के विरूद्व पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट के चिपती ग्राम पंचायत शोभासर के चक 16 जेएमडी मुरब्बा नंबर 230/58 के किला नंबर 5, 6 व 15 की कुल 3 बीघा अराजीराज भूमि को श्मशान भूमि हेतु आरक्षित किये जाने के आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट्स श्री विजय कुमार पारीक ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त विवादित भूमि के चिपती अपीलांट्स की खरीदशुदा खातेदारी भूमि वर्ष 1975 से है। उक्त भूमि का इंतकाल अपीलांट्स के नाम दर्ज हैं। अपीलांट्स खरीद के समय से ही भूमि पर ढाणी बनाकर आबाद है। अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत शोभासर के चक 16 जेएमडी मुरब्बा नंबर 230/58 के किला नंबर 5, 6 व 15 की कुल 3 बीघा भूमि श्मशान हेतु आरक्षित कर दी। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट लिये व अपीलांट को बिना सुने इकतरफा आदेश जारी कर दिये। धारा 92 भू राजस्व अधिनियम के तहत कुछ अधिकार जिला कलक्टर को दिये गये है परंतु श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने का अधिकार न तो जिला कलक्टर को हैं और न ही उपखण्ड अधिकारी को है। केवल मात्र राज्य सरकार की अनुमति से ही आदेश पारित किये जा सकते है। ग्राम में 300 बीघा रकबा राज भूमि पृथक से है, जहां पर श्मशान हेतु भूमि आरक्षित की जा सकती है। अतः जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है।	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अवगत कराया कि जिला कलक्टर को भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत सार्वजनिक एवं म्यूनिशिपल प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित करने हेतु शक्तियां प्राप्त है तथा उपखण्ड अधिकारी को उक्त शक्तियां "प्रशासन गांवों के संग अभियान" के तहत प्रदत्त हुई है, जिसके अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपखण्ड अधिकारी को आबादी विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दो अधिसूचनाऐं दिनांक 30.09.2021 एवं 15.12.2021 जारी हो रखी है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2022 अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2022 निरस्त किया जाकर अपील उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने के संबंध में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर